न्यायालय: अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार।

जिला:- कटिहार (बिहार)

Session Trial No- 201/2012
G.R.No.- 88/2009, C.I.S. No.- 320/2014

सरकार द्वारा (विकास कुमार झा पे० स्व० सुभाष चन्द्र झा)
सा०मौ०:- सलेमपुर, थाना:- पोठिया, जिला:- कटिहार, बिहार। :…...................…अभियोजन पक्ष।

बनाम

1. रेखा देवी पति मुकेश मंडल, उ०त० 30 वर्ष,
2. मुकेश मंडल पुत्र जगदीश मंडल, उ०त० 35 वर्ष,
3. बिन्दा देवी उर्फ बीना देवी पति जगदीश मंडल, उ०त० 55 वर्ष,

सभी निवासी सा०मौ०:- मलहरिया, थाना:- फलका,
जिला:- कटिहार, बिहार। :..बचाव पक्ष।
थाना:- फलका (पोठिया)।
प्राथमिकी संख्या:- 13/2009 दिनांक 11.01.2009।
प्राथमिकी अंतर्गत:- धारा 323,341,435,427,447,379,307/34 भा०दं०वि०।
संज्ञान अंतर्गत:- धारा 323,342,436,427,447,379/34 भा०दं०वि०।
आरोप अंतर्गत: धारा 323,342,436,427,447,379/34 भा०दं०वि०।
अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक लो अभियोजक श्री:........... सरदार यसवंत सिंह।
बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री :.. कैलाश मंडल।
निर्णय तिथि:- 07:05:2026
उपस्थिति:- महेन्द्र प्रसाद यादव, अपर सत्र न्यायाधीश, नवम, कटिहार।

निर्णय

1. प्रस्तुत मामले में अभियुक्त 1. जगदीश मंडल, 2. बिन्दा देवी उर्फ बीना देवी, 3. मुकेश मंडल एवं 4. रेखा देवी के विरुद्ध धारा 323,342,436,427,447,379/34 भा०दं०वि० के अंतर्गत दंडनीय अपराध का आरोप है कि इन्होंने मिलकर सामान्य आशय को अग्रसर करने में सूचक के कामत घर की छतरी को दबिया से काटकर गिरा दिया एवं मना करने पर सूचक के साथ लाठी थप्पड़ से मारपीट किया और उसके कामत घर में आग लगा दिया तथा खाद एवं अन्य सामान लूट लिया।
2. अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि प्रस्तुत मामले के सूचक विकास कुमार झा ने विद्वान मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी, कटिहार के न्यायालय में दिनांक 26/11/2008 को एक परिवाद-पत्र संख्या- 3620/2008 दाखिलकर कथन किया है कि वह अपने सह हिस्सेदार जैसे प्रभाष चंद्र झा, विभास चंद्र झा आदि के साथ मिलकर थाना- फलका, जिला- कटिहार के मलहरिया गांव के खाता नंबर 1 खेसरा नंबर 112 वाली जमीन एवं कुछ अन्य जमीनों के मालिक अपने पूर्वज कंत लाल झा और उनके पूर्वज के समय से फसल उगाते आ रहे हैं। हाल के समय में जगदीश मंडल ने बेईमानी और धोखाधड़ी से बिहार काश्तकारी अधिनियम की धारा 48(E) के तहत केस संख्या- 489/2007-08 के माध्यम से बटाईदारी का झूठा दावा पेश किया था, जिसे पूरी तरह से खारिज कर दिया गया क्योंकि बटाईदारी का उसका दावा झूठा पाया गया था। जगदीश मंडल ने बिहार काश्तकारी अधिनियम की धारा 48(D) के तहत वाद संख्या- 02/2007-08 की कार्यवाही भी शुरू किया था जिसे अंचल अधिकारी, समेली द्वारा खारिज कर दिया गया और उक्त आदेश के विरुद्ध दायर अपील संख्या- 01/2008-09 को भी अनुमंडल पदाधिकारी, कटिहार द्वारा खारिज कर दिया गया। उपरोक्त जमीन पर जगदीश मंडल और उसके परिवार का कोई भी सदस्य कभी भी दखल

WEB COPY / CIVIL COURT KATIHAR

कब्जा में नहीं रहा है लेकिन बेईमानी की नीयत से और उस जमीन पर कब्जा करने के लिए जगदीश मंडल ने उस जमीन को हड़पने के लिए उपरोक्त झूठी कानूनी कार्यवाही शुरू किया था लेकिन हर जगह वह अपने सभी झूठी कानूनी लड़ाइयां हार गया। परिवादी ने अब उस जमीन पर खाड़ी के रूप में केले की फसल उगाई है जो अभी कटाई के लिए पकी नहीं है। परिवादी का उस जमीन के उत्तर दक्षिण कोने में एक कामत घर था, जहां मजदूरों के साथ-साथ परिवादी और उसके परिवार के सदस्य भी खेती करने और केले की फसल की रखवाली करने के लिए रहते और ठहरते थे। जगदीश मंडल उपरोक्त कानूनी लड़ाइयां हार गया था, इसलिए सभी आरोपियों के साथ मिलकर परिवादी को खत्म करने और उसके मन में दहशत पैदा करने की साजिश रचा कि परिवादी और उसके लोग उक्त जमीन को छोड़कर चले जाएं। उपरोक्त जमीन पर कब्जा करने के लिए सभी आरोपी लोग दबिया, गड़ासा, फरसा जैसे खतरनाक हथियारों से लैस होकर घटना वाली रात यानी 20.11.2008 को लगभग 1:00 बजे जमीन पर आए और कामत के घर को काटना शुरु कर दिया, जिस पर शिकायतकर्ता और उसके आदमियों ने जिनका नाम गवाह के तौर पर दिया गया है, वह जग गए और उन्होंने देखा की सभी आरोपी अलग-अलग दिशा में कामत के घर में आग लगा रहे हैं। कामत के घर में आग लगाने की वजह से घर में रखा सारा सामान जैसे अनाज , खेती के सामान कुदाल, खाद का पांच डिब्बा, कीटनाशक के बुरादे, खाट और 15000/- रूपये का पंप सेट इंजन जलकर पूरी तरह नष्ट हो गया। आरोपियों का पूरा मकसद परिवादी और उसके आदमियों को जलाकर मार डालना तथा कामत के घर को सामान के साथ जलाकर नष्ट कर देना था। परिवादी और उसके आदमियों ने अभियुक्तों के ज्यादती का विरोध किया तो उन्होंने परिवादी और उसके आदमियों पर हमला करना शुरू कर दिया और दूसरे गवाहों और आदमियों के आने पर वह कामत के घर से खाद के लगभग पूरे बैग को अपने सिर पर उठाकर भाग गए। परिवादी ने पंचायती किया और उसमें जमीन के कागज दिखाएं जिस पर आरोपियों को दोषी ठहराया गया और आरोपियों को मुआवजा देने का आदेश दिया गया था लेकिन आरोपियों ने कुछ नहीं सुना, इसलिए यह शिकायत दर्ज की गई है। आरोपियों ने भारतीय दंड विधि की धारा 436,323, 307,392,427,447 और 120(B) के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया है जिसके लिए उनके विरुद्ध मुकदमा चलाकर उन्हें दंडित किया जाए। परिवादी द्वारा दाखिल किए गए परिवाद-पत्र को विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, कटिहार ने प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान करने हेतु फलका थाना को अग्रसारित कर दिया, जिसके आधार पर यह मामला दर्ज किया गया है।

3. विकाश कुमार झा के द्वारा दाखिल परिवाद-पत्र संख्या- 3620/2008 दिनांक 26.11.2008 के आधार पर फलका (पोठिया) पुलिस द्वारा प्राथमिकी नामजद अभियुक्त 1. जगदीश मंडल पुत्र स्वर्गीय सोती मंडल, 2. बीना देवी पत्नी जगदीश मंडल, 3. मुकेश मंडल पुत्र जगदीश मंडल, 4. रूपेश मंडल पुत्र जगदीश मंडल, 5. रेखा देवी पत्नी मुकेश मंडल एवं 6. राकेश मंडल पुत्र जगदीश मंडल सभी निवासी मलहरिया, थाना- फलका, जिला- कटिहार के विरुद्ध फलका (पोठिया) थाना काण्ड संख्या- 13/2009 दिनांक 11.0.2009 अंतर्गत धारा 323,341,435,427,447,379,307/34 भा०दं०वि० में प्राथमिकी पंजीबद्धकर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधानोपरांत सभी प्राथमिकी नामजद अभियुक्तों को भा०दं०वि० की धारा 323,342,436,427,447,379/34 के अंतर्गत आरोपित करते हुये आरोप-पत्र संख्या- 33/2010 दिनांक 20.05.2010 न्यायालय में समर्पित किया गया, तदुपरान्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, कटिहार द्वारा दिनांक 27.08.2011 को प्राथमिकी नामजद अभियुक्त 1. जगदीश मंडल, 2. बीना देवी, 3. मुकेश मंडल, 4. रूपेश मंडल, 5. रेखा देवी एवं 6. राकेश मंडल के विरुद्ध धारा 323,342,436,427,447,379 /34 भा०दं०वि० के अंतर्गत प्रथमदृष्टया मामला बनता पाकर अपराध का संज्ञान लिया गया और दिनांक 26.03.2012 को मामला विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटिहार के न्यायालय में दौरा सुपुर्द होकर विचारण एवं निष्पादन हेतु इस न्यायालय को प्राप्त है।

WEB COPY CIVIL COURT KATIHAR

4. मामले के दौरा सुपुर्द किये जाने के बाद अपर सत्र न्यायालय, द्वितीय, कटिहार द्वारा दिनांक 14.06.2012 को अभियुक्त 1. जगदीश मंडल, 2. बीना देवी, 3. मुकेश मंडल एवं 4. रेखा देवी के विरुद्ध धारा 323, 342,436,427,447,379/34 भा०दं०वि० अन्तर्गत आरोप गठन हेतु पर्याप्त सामग्री पाकर आरोप का गठनकर खुले न्यायालय में हिन्दी में पढ़कर सुनाया गया जिससे अभियुक्तों द्वारा इनकार करते हुये विचारण का दावा किया गया। अभिलेख विचारण एवं निष्पादन के क्रम में विभिन्न न्यायालय से होता हुआ इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है और आज निर्णय हेतु नियत ह

5. अभियोजन सक्ष्य के पश्चात् अभियुक्तगण का साक्ष्य बंदकर दिनांक 04.09.2018 को अभियुक्तों का बयान द०प्र०सं० की धारा 313 के अन्तर्गत अभिलिखित किया गया जिसमें अभियुक्तों ने अभियोजन के घटनाक्रम से पूर्णत: इनकार किया तथा स्वयं को निर्दोष बताया है।

6. महत्वपूर्ण है कि मामले के विचारण के दौरान अभियुक्त जगदीश मंडल की मृत्यु हो जाने के कारण उनके विरुद्ध आपराधिक प्रक्रिया स्थगित किया गया है।

7. अब न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन मौखिक एवं प्रलेखी साक्ष्यों के माध्यम से अभियुक्तों द्वारा सामान्य आशय को अग्रसर करने में सूचक के कामत घर की छतरी को दबिया से काटकर गिरा देने एवं मना करने पर सूचक के साथ लाठी थप्पड़ से मारपीट करने और उसके कामत घर में आग लगा देने तथा खाद एवं अन्य सामान लूट लेने के आरोप को युक्तियुक्त संदेह की छाया से परे सिद्ध करने में पूर्णत: सफ़ल रहा है अथवा नहीं ?

अभियोजन साक्ष्य

8. इस मामले में अभियोजन द्वारा अभियुक्तों पर लगाये गये आरोप को साबित करने के क्रम में न्यायालय के समक्ष कुल 7 साक्षियों का मौखिक परीक्षण कराया गया है, जो क्रमशः निम्नवत हैं-
अभियोजन साक्षी संख्या- 1. (PW- 1) रेणू देवी पति कुलदीप मंडल (पक्षद्रोही साक्षी)
अभियोजन साक्षी संख्या- 2. (PW- 2) अरुण कुमार मंडल पे० दिलीप मंडल (हितबद्ध साक्षी))
अभियोजन साक्षी संख्या- 3. (PW- 3) शंकर मंडल स्व० चेत नारायण मंडल (हितबद्ध साक्षी))
अभियोजन साक्षी संख्या- 4. (PW- 4) प्रभाष चंद्र झा पे० स्व० अरुण चन्द्र झा (हितबद्ध साक्षी)
अभियोजन साक्षी संख्या- 5. (PW- 5) बिभाष चंद्र झा पे० स्व० अरुण चन्द्र झा (हितबद्ध साक्षी)
अभियोजन साक्षी संख्या- 6. (PW- 6) विकाश कुमार झा पे० स्व० सुभास चन्द्र झा (स्वयं सूचक साक्षी)
अभियोजन साक्षी संख्या- 7. (PW- 7) नंदकिशोर राम (अनुसंधानकर्ता साक्षी)

9. अभियोजन द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध लगाये गये आरोप के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज को प्रदर्श अंकित कराया गया है:-
प्रदर्श- P- 1/PW- 6. परिवाद-पत्र पर परिवादी/सूचक का हस्ताक्षर।
प्रदर्श- P- 2/PW- 7. परिवाद-पत्र पर थाना प्रभारी की लिखावट एवं हस्ताक्षर में पृष्ठांकन।
प्रदर्श- P- 2/1/PW- 7. उदय कुमार की लिखावट एवं हस्ताक्षर में परिवाद-पत्र पर अग्रसारण।
प्रदर्श- P- 3/PW- 7. औपचारिक प्राथमिकी।

10. प्रस्तुत मामले में बचाव पक्ष की ओर से अपने बचाव में कोई भी मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में रिविजनल सर्वे खतियान को प्रदर्श- D- A अंकित किया गया है।

11. प्रस्तुत मामले के अभियुक्तों के विरुद्ध तय किये गये आरोप धारा 323,342,436,427,447,379/34 भा० दं०वि० के अंतर्गत दंडनीय अपराध के आरोप को साबित करने के क्रम में सबसे महत्वपूर्ण अभियोजन साक्षी संख्या- 6. विकाश कुमार झा, स्वयं सूचक (PW-6) ने मुख्य परीक्षण में कहा है कि घटना दिनांक 20.11.2008 की समय 1.00 बजे रात्री की है। उस समय मैं खेत वाले घर में सोया हुआ था। देखा कि जगदीश मंडल, बीना देवी, रेखा देवी, मुकेश मंडल, राकेश मंडल मिलकर दबिया से काट कर मेरे घर का

WEB COPY CIVIL COURT KATIHAR

छतरी गिरा दिया। मैंने रोका तो वे लोग मुझे लाठी थप्पड़ से मारपीट किए एवं मेरे उस घर में आग लगा दिया एवं आग लगाने के पूर्व 10000/- का सामान लूट लिया। तब मैं केस करने पोठिया ओ.पी. गया एवं वहां केस दर्ज नहीं हुआ तो कोर्ट में परिवाद-पत्र दाखिल किया। परिवाद-पत्र पर मेरा दस्तखत है। परिवाद-पत्र पर साक्षी के दस्तखत को प्रदर्श- P-1/PW-6 अंकित किया गया है। केस दर्ज होने के बाद मैंने पुलिस को बयान दिया था। साक्षी ने न्यायालय में उपस्थित अभियुक्तों को देखकर पहचान किया है तथा अन्य अभियुक्तों को देखकर पहचान लेने का दावा किया है।

इन्होंने बचाव् पक्ष द्वारा किए गए जिरह में बयान दिया है कि कामत वाले घर का खाता नंबर 1, खेसरा नंबर 112 एवं रकवा 99 डिसमिल है। उसका खतियान मेरे पर दादा कंत लाल झा के नाम से है, जिसे मैं देखा हूं। खतियान में अभियुक्ति जगदीश मंडलके पिता का नाम सिकमीदार के रूप में दर्ज है। यह जमीन मलहरिया मौजा में है। जगदीश मंडल का घर जमीन से 10 कदम की दूरी पर है। जगदीश मंडल हम लोगों को फसल बांट कर दे रहे थे एवं डी.सी.एल.आर. के निर्णय के बाद भी वे लोग खेत नहीं छोड़ रहे थे तो हम लोग दबाव देकर उस जमीन पर कब्जा किया। मेरा घर घटनास्थल से 6-7 किलोमीटर की दूरी पर सलेमपुर में है। घटना के समय उस खेत में केला लगा हुआ था। कामत घर पुराना था।बांस एवं टाटी का बना हुआ था। वह एक कमरे का था। घटना की रात मैं कामत में अकेले था। घटना के समय अंधेरा था एवं वहां अन्य कोई लोग नहीं थे। हल्ला होने पर बाद में लोग वहां एकत्रित हुए एवं उसके पूर्व ही अभियुक्तगण वहां से भाग चुके थे। अभियुक्तों को मैंने अंधेरा में अंदाज से पहचाना। उस समय मेरा लालटेन जल रहा था। ऐसी बात नहीं है कि इस तरह का कोई घटना नहीं हुआ एवं जगदीश मंडल सिकमीदार होने के नाते अपने पिता के जीवन काल से ही उस खेत में जोत आबाद करते थे एवं वह कामत जगदीश मंडल के पिता के समय से बना था जिसमें हम लोग आग लगा दिए एवं जमीन खाली करने के लिए यह झूंठा केस किया है एवं झूठी गवाही दिया है।

12. अभियोजन साक्षी संख्या- 1. रेणू देवी (PW- 1) ने मुख्य परीक्षण में घटना के संबंध में कोई जानकारी होने तथा पुलिस द्वारा बयान लिए जाने की बात से इनकार किया है। इस साक्षी को अभियोजन के निवेदन पर पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया है। अभियोजन द्वारा किए गए जिरह में अभियुक्तों के मेल में आकर झूठी गवाही देने की बात से इनकार किया गया है तथा अभियुक्तों के ग्रामीण होने के कारण पहचानने की बात कहा है। बचाव पक्ष द्वारा किए गए प्रति परीक्षण में स्वतंत्र इच्छा से बयान देने की बात कहा है।

13. अभियोजन साक्षी संख्या- 2. अरुण कुमार मंडल (PW- 2) ने मुख्य परीक्षण में कहा है कि घटना दिनांक 20.11.2008 के 1:00 बजे रात्रि का है। उस समय मैं अपने घर पर सोया हुआ था एवं विकास झा के कामत से हल्ला सुनकर वहां गया तो देखा कि जगदीश मंडल, बीना देवी, रूपेश मंडल, राकेश मंडल, एवं रेखा देवी विकास झा के रहने वाले झोपड़ी को काट रहा था एवं उसके बाद वे लोग उस झोपड़ी में आग लगा दिया। विकास झा भागने लगा तो अभियुक्तगण उससे मारपीट किया एवं झोपड़ी का सामान लेकर भाग गया। आगे कहा है कि पुलिस में मेरा बयान हुआ था। साक्षी ने न्यायालय में उपस्थित अभियुक्तों की पहचान किया है तथा शेष अभियुक्तों को देखकर पहचान लेने की बात कहा है।

इन्होंने अपने प्रति परीक्षण में कहा है कि उस वर्ष के सरस्वती पूजा का तारीख नहीं बता सकता हूं। घटना की रात्रि अंधेरा था। मेरे घर से कामत पांच रस्सी की दूरी पर है। बीच में बहुत से लोगों का घर है। उसमें डोंगर पासवान वगैरह का घर है। जब मैं घटनास्थल पर पहुंचा तो झोपड़ी को काटा जा रहा था। वहां बिजली नहीं था, अंधेरा था। अभियुक्तों को मैं घटनास्थल पर पहचाना। जगदीश मंडल अभियुक्त मेरे पिता के बड़े भाई हैं। हम लोगों के बीच पुराना जमीनी विवाद चल रहा है। मैं अभियुक्तों के घर नहीं जाता हूं। अन्य लोगों के घर जाता हूं। ऐसी बात नहीं है कि इस तरह का कोई घटना नहीं हुआ एवं अभियुक्तों से जमीनी विवाद के कारण यह झूठा केस हम लोग करवाए हैं एवं मैंने झूठी गवाही दिया है।

WEB COPY CIVIL COURT KATIHAR

14. अभियोजन साक्षी संख्या- 3. शंकर मंडल (PW- 3) ने मुख्य परीक्षण में बयान दिया है कि घटना दिनांक 20.11.2008 के 1:00 बजे रात्रि का है। उस समय मैं अपने खेत पर स्थित कामत पर सोया हुआ था। विकास झा के खेत से हल्ला सुना। वहां उनका कामत था। हल्ला पर वहां गया तो देखा कि कामत को जगदीश मंडल, बीना देवी, मुकेश मंडल, रूपेश मंडल, राजेश मंडल एवं रेखा देवी काटकर गिरा दिया। सभी मिलकर कामत में आग लगा दिया था, उस समय विकास झा उस कामत में सोया हुआ था। वह कामत से निकलकर हल्ला किया। अभियुक्तगण घर के समान को लूट लिया एवं केला के पेड़ को काटकर बर्बाद कर दिया। घटना को अरुण, प्रभास, विभास वगैरह देखे। पुलिस में मेरा बयान हुआ था। साक्षी ने न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त की पहचान किया है तथा अन्य व्यक्तियों को देखकर पहचान लेने की बात कहा है।

इन्होंने अपने प्रति परीक्षण में कहा है कि मैं पढ़ा लिखा हूं। वर्ष 2012 ईस्वी में सरस्वती पूजा का तारीख नहीं बता सकता हूं। विकास झा के जमीन का कागज मैंने देखा है। उसका खाता नंबर 1, खेसरा नंबर 111 एवं 112 तथा रखवा क्रमशः 99 डेसिमल एवं एक एकड़ है। सिकमी खाता नंबर नहीं बता सकता। किसके नाम से सिकमी है, नहीं बता सकता। विकास झा का घर सलेमपुर है। प्रभास का भी घर वहीं है। जमीन एवं कामत मलहरिया में है। जगदीश मंडल का घर भी मलहरिया में है। वहां से सलेमपुर 1 किलोमीटर दूरी पर है। कामत वाला घर फूस का बना हुआ था। अंदर मचान भी बना हुआ था। उसमें दरवाजा भी था। उसके बाहर मवेशी का नाद था, जिसमें उसका एक गाय रहता था। कामत के पूरब- अशोक मंडल का खेत, पश्चिम- महेंद्र मंडल, उत्तर- ठीठर मंडल एवं दक्षिण- मनोज मंडल का खेत है। चौहद्दी के खेत में केला एवं फसल लगा हुआ था। मेरे कामत से यह कामत 4-5 खेत के बाद है। उस कामत के बगल में नित्यानंद मंडल, गेंदालाल मंडल का कामत है। रात अंधेरी थी, वहां बिजली नहीं है। घटना के रात्रि विकास झा कामत में सोया था एवं उसी के हल्ला पर मैं वहां गया। जब मैं घटनास्थल पर पहुंचा तो कामत में आग लगा हुआ था। उसके बाद अभियुक्त लोग केला का पेड़ काटने लगे। केला विकास झा का था। जगदीश मंडल के पिता का नाम सोती मंडल है। मैं सोती मंडल को कामत वाला खेत जोतते हुए नहीं देखा हूं। ऐसी बात नहीं है कि उनके देहांत के बाद जगदीश मंडल उस खेत में कामत बनाकर रहने लगे एवं खेती करने लगे। जगदीश मंडल को ग्रामीण होने के नाते घटना के पूर्व से जानता हूं। ऐसी बात नहीं है कि जगदीश मंडल एवं मेरे पिताजी के बीच जमीन को लेकर झंझट चल रहा है। मुझे जानकारी नहीं है

15. अभियोजन साक्षी संख्या- 4. प्रभाष चंद्र झा (PW-4) ने मुख्य परीक्षण में बयान दिया है कि घटना दिनांक 20.11.2008 के 12 -1:00 बजे रात्रि का है। मैं अपने कामत में सोया हुआ था। मेरा भाई विभास चंद्र झा एवं भतीजा विकास चंद्र भी अलग-अलग कमरा में कामत में सोये हुए थे। जगदीश मंडल, बीना देवी, मुकेश मंडल, रूपेश मंडल, राजेश मंडल एवं रेखा देवी कुल 6 लोग कामत पर आये एवं मेरे घर के कमरा का दरवाजा धक्का मारकर खोल दिया एवं खाद बर्तन वगैरह लूट लिया। खाद 3000/- रूपये का एवं वर्तन 1000/- रूपये का था। उसके बाद में लोग दबिया से कामत को काट दिया एवं आग लगा दिया। उसके बाद अरुण, सुबोध, शंकर वगैरह आए एवं घटना देखा। पुलिस में मेरा बयान हुआ था। साक्षी ने न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त की पहचान किया है तथा अन्य अभियुक्तों को भी देखकर पहचान लेने का दावा किया है।

इन्होंने अपने प्रति परीक्षण में कहा है कि वर्ष 2013 ईस्वी में सरस्वती पूजा का दिन एवं तारीख नहीं बता सकता हूं। कामत वाली जमीन का खाता नंबर 1 खेसरा नंबर 12 एवं रकवा 99 डिसमिल है। इसका खतियान कंत लाल झा के नाम से है एवं सिकमीदार में सोती मंडल का नाम दर्ज था। अभियुक्त जगदीश मंडल सोती मंडल का लड़का, बीना देवी पतोहू एवं अन्य अभियुक्तगण जगदीश मंडल का लड़का है। सिकमीदार होने के नाते उसे जमीन पर सोती मंडल खेती करते थे। कंत लाल झा एवं सोती मंडल का

WEB COPY CIVIL COURT KATIHAR

देहांत हो गया है। कंत लाल झा को 6 लड़का है एवं उनका लड़का अरुण कुमार है जो उस जमीन का देखभाल करता था एवं सोती मंडल खेती करते थे। मैं कंत लाल झा का पोता हूं एवं मेरे समय में जगदीश मंडल वगैरह आए। उक्त जमीन पर पहले कामत नहीं था। उसे हम लोग बनाए थे। मेरे घर से कामत 3 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरा संपूर्ण परिवार सलेमपुर में ही घर बनाकर रहते हैं। कामत घर बांस एवं टाटी का बना हुआ था। उसकी लंबाई 12 हाथ एवं 8-10 हाथ चौड़ाई था, उसके अंदर खटिया था। तीनों भाई का अलग-अलग कामत घर बना हुआ था एवं रात में हम लोग कामत घर में ही सोए थे। घटना का रात अंधेरा था वहां बिजली नहीं है। घटना के रात्रि हम लोग सोए हुए थे उसके बगल में ठीठर मंडल, महेंद्र मंडल, अशोक मंडल वगैरह का कामत है। पुलिस ने भी मेरा बयान लिया था। पुलिस को नहीं बताया था कि कामत तीन कमरा का था एवं जगदीश मंडल के पिता सोती मंडल उस जमीन का सिकमीदार थे। घटनास्थल के पूरब- गोपाल मंडल, पश्चिम- महेंद्र मंडल, दक्षिण- कंत लाल मंडल एवं ठीठर मॉडल है। अभियुक्तों को कामत घर काटने में कितना समय लगा नहीं बता सकता। जब वे लोग घर को काट दिए तभी हम लोग कमरा से बाहर आए। किसी ने बचाव नहीं किया। ऐसी बात नहीं है कि इस तरह की कोई घटना नहीं हुआ एवं अभियुक्तगण सिकमीदार के वारिस होने के कारण जमीन को जोत आबाद करते थे एवं उसे बेदखल करने के लिए यह झूंठा केस किया है एवं झूठी गवाही दिया हूं।

16. अभियोजन साक्षी संख्या- 5. बिभाष चंद्र झा (PW-5) ने मुख्य परीक्षण में बयान दिया है कि घटना दिनांक 20.11.2008 के 11:00 बजे दिन का है। उस समय मैं खेत पर स्थित घर में सोया हुआ था। मेरे भाई प्रभास चंद्र झा के घर मर जगदीश मंडल, बीना देवी, मुकेश मंडल, रूपेश मंडल, राजेश मंडल एवं रेखा देवी घुसकर 3000/- रूपये का खाद एवं 1000/- रूपये का वर्तन ले लिया था। उसके बाद वे लोग घर में आग लगा दिया। पुलिस को मैं बयान दिया था। साक्षी ने न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त की पहचान किया है तथा अन्य व्यक्तियों को भी देखकर पहचान लेने का दावा किया है।

इन्होंने बचाव् पक्ष द्वारा किए गए जिरह में बयान दिया है कि जगदीश मंडल के पिताजी का नाम सोती मंगल है। घटनास्थल वाले घर के जमीन का खतियान स्वर्गीय अरुण चंद्र झा के नाम से है। इस जमीन में कोई सिकमी खतियान नहीं है। मैं शादीशुदा हूं एवं मुझे दो लड़की तथा एक लड़का है। उन लोगों का जन्म तिथि याद नहीं है। बीना देवी, रेखा देवी एवं जगदीश मंडल क्रमशः पत्नी एवं बहू है। मुकेश मंडल उनका लड़का है। मेरा घर कमलपुर है। तीनों भाइयों का घर वहीं पर है। तीनों भाइयों का घर अलग-अलग है। घटनास्थल से कमलपुर की दूरी साइकिल से जाने में आधा घंटा लगता है। जगदीश मंडल के गांव के बगल में घटना वाला जमीन है। ऐसी बात नहीं है कि पहले सोती मंडल उस जमीन पर खेती करते थे। इसका होल्डिंग नंबर नहीं बता सकता हूं, चौहद्दी बता सकता हूं। उसके पूरब- सुबोध मंडल का जमीन, पश्चिम- महेंद्र मंडल, उत्तर- ठीठर मंडल एवं दक्षिण- कंत लाल मंडल का जमीन है। घर का चौहद्दी नहीं बता सकता हूं। घर पुराना था। यह कामत घर था। उसमें मचान बना हुआ था। वहीं से हटकर बस्ती है। ऐसी बात नहीं है कि कामत घर सोती मंडल द्वारा बनाया गया था। उसकी लंबाई एवं चौड़ाई नहीं बता सकता पुनः बयान दिया है कि लंबाई 9 हाथ था एवं एक ही कमरा था। घटना के समय केवल भाई लोग थे। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग सलेमपुर में नहीं रहते हैं घटना के रात बाकी भाई कामत वाले घर में थे। आगे कहा है कि आग लगाते मैं नहीं देखा था। ऐसी बात नहीं है कि विवादित जमीन का सिकमी खतियान जगदीश मंडल के पिता के नाम से है एवं उस पर कामत सोती मंडल थे तथा घटना के रात हम लोग ही उस घर में आग लगा दिए एवं या यह झूंठ केस कर दिया गया है।

17. अभियोजन साक्षी संख्या- 7. नरेश कुमार (PW- 7) अनुसंधानकर्ता ने मुख्य परीक्षण में बयान दिया है कि दिनांक 11.01.2009 को मैं फलका थाना पोठिया ओ.पी. में पदस्थापित था। उस तिथि को मुझे फलका (पोठिया) थाना कांड संख्या- 13/2009 दिनांक 11.01.20009 का अनुसंधान भार तत्कालीन थाना प्रभारी

WEB COPY CIVIL COURT KATIHAR

द्वारा प्राप्त हुआ, जो विकास कुमार मुद्दई के कोर्ट परिवाद पर दर्ज हुआ था। अनुसंधान के क्रम में वादी का पुनः बयान लिया तथा घटनास्थल का निरीक्षण किया। घटनास्थल ग्राम मलहरिया बहियार स्थित वादी के बताएं अनुसार आए। वादी का खेत खाता नंबर 1 खेसरा नंबर 112 रकबा 99 डेसिमल वादी के बताए अनुसार खेत में केला कटा हुआ तथा कामत की झोपड़ी में आग लगी थी। घटनास्थल पर पाया गया। वादी एवं साक्षी लोग बताएं कि जमीन को जबरन हड़पना चाहते हैं। घटनास्थल की चौहद्दी- पूरब- अशोक मंडल का जमीन, पश्चिम- उपेंद्र मंडल का जमीन, उत्तर- ठीठर मंडल का खैनी लगा खेत एवं दक्षिण- संतलाल मंडल का खैनी लगा खेत। अनुसंधान के क्रम में शंकर मंडल, घुटन मंडल, रेणु देवी, अरुण मंडल का बयान लिया। अभियुक्तगणों के घर पर छापामारी किया गया कोई नहीं पकड़ाया। आगे कहा है कि जगदीश मंडल को गिरफ्तार किए थे तथा उसे जेल भिजवाया था। निर्देशानुसार प्राथमिकी नामजद अभियुक्त जगदीश मंडल, मुकेश मंडल, बीना देवी, रेखा देवी, रूपेश मंडल एवं राकेश मंडल के विरुद्ध धारा 447,342,379,427,436,323/34 भा०दं०वि० के अंतर्गत आरोप-पत्र संख्या- 33/2010 न्यायालय में समर्पित किया। कोर्ट परिवाद-पत्र पर पृष्ठांकन नोट थाना प्रभारी फलका का लघु हस्ताक्षर है एवं अग्रसारण नोट उदय कुमार के लिखावट एवं हस्ताक्षर में है। पृष्ठांकन मोहम्मद कैसर इमाम मल्लिक तत्कालीन थाना अध्यक्ष के लेख हस्ताक्षर में है इसे क्रमशः प्रदर्श- P-2/PW- 7 एवं प्रदर्श- P-2/1/PW- 7 अंकित किया जाता है। औपचारिक प्राथमिकी मुंशी के लिखावट में है जिस पर मोहम्मद कैसर इमाम मल्लिक थानाध्यक्ष का हस्ताक्षर है, इसे प्रदर्श- P- 3/PW- 7 अंकित किया जाता है।

इन्होंने अपने प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि इस कथित घटना के संबंध में सूचना दिनांक 11.01.2009 को प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त के पश्चात प्राथमिकी का अवलोकन किया। घटनास्थल पर खेत, कामत एवं निवास घर भी है। चौहद्दी वाले व्यक्तियों का बयान मैंने केस डायरी में अंकित नहीं किया। घटनास्थल जो घर जलने की बात बताई गई उसके जले अवशेष को जप्त नहीं किया था। कथित कामत मुद्दई के द्वारा बताया गया। इस संबंध में गवाही ली थी। जिस भूमि पर कामत था उस भूमि की जांच किया। खतियान देखा था। उसमें मैं नहीं पाया कि अभियुक्त जगदीश मंडल के पिता सिकमी के रूप में दर्ज थे। कामत घर एवं वादी का घर आधा किलोमीटर की दूर है। कामत घर से 60-70 मीटर की दूरी पर अभियुक्त का घर है। कटा हुआ केला काजब्ती सूची नहीं बनाया। घटनास्थल पर पाए थे। जहां-जहां मुलाकात हुई वहीं-वहीं गवाहों का बयान लिए। घटना रात्रि को बताई गई तथा कथित कामत रहकर खेती-बाड़ी करने के लिए था। गवाहों के अनुसार गवाहियों का बयान डायरी में दर्ज किया। ऐसी बात नहीं है कि मेरा अनुसंधान त्रुटि पूर्ण है।

अभियोजन की ओर से बहस

18. विद्वान सहायक लोक अभियोजक, कटिहार ने अपने बहस में कहा है कि सूचक विकास कुमार झा पे० स्व० सुभाष चन्द्र झा ने विद्वान मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी, कटिहार के न्यायालय में दिनांक 26/11/2008 को एक परिवाद-पत्र संख्या- 3620/ 2008 दाखिल किया था जिसे विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, कटिहार ने प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान करने हेतु फलका थाना को अग्रसारित कर दिया, जिसके आधार पर अभियुक्त 1. जगदीश मंडल पुत्र स्वर्गीय सोती मंडल, 2. बीना देवी पत्नी जगदीश मंडल, 3. मुकेश मंडल पुत्र जगदीश मंडल, 4. रूपेश मंडल पुत्र जगदीश मंडल, 5. रेखा देवी पत्नी मुकेश मंडल एवं 6. राकेश मंडल पुत्र जगदीश मंडल सभी निवासी मलहरिया, थाना- फलका, जिला- कटिहार के विरुद्ध फलका (पोठिया) थाना काण्ड संख्या- 13/2009 दिनांक 11.0.2009 अंतर्गत धारा 323,341,435,427,447, 379, 307/34 भा०दं०वि० में प्राथमिकी पंजीबद्धकर अनुसंधान प्रारंभ किया गया और अनुसंधानोपरांत सभी प्राथमिकी नामजद अभियुक्तों को भा०दं०वि० की धारा 323,342,436,427,447,379/34 के अंतर्गत आरोपित करते हुये आरोप-पत्र संख्या- 33/2010 दिनांक 20.05.2010 न्यायालय में समर्पित किया गया,

WEB COPY CIVIL COURT KATIHAR

तदुपरान्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, कटिहार द्वारा प्राथमिकी नामजद अभियुक्त 1. जगदीश मंडल, 2. बीना देवी, 3. मुकेश मंडल, 4. रूपेश मंडल, 5. रेखा देवी एवं 6. राकेश मंडल के विरुद्ध धारा 323,342, 436,427,447,379 /34 भा० दं०वि० के अंतर्गत प्रथमदृष्टया मामला बनता पाकर अपराध का संज्ञान लिया गया और मामले के दौरा सुपुर्द किये जाने के बाद अपर सत्र न्यायालय, द्वितीय, कटिहार द्वारा अभियुक्त 1. जगदीश मंडल, 2. बीना देवी, 3. मुकेश मंडल एवं 4. रेखा देवी के विरुद्ध धारा 323, 342,436,427, 447,379/34 भा०दं०वि० अन्तर्गत आरोप का गठन किया गया है। मामले के अभियुक्त 1. जगदीश मंडल, 2. बीना देवी, 3. मुकेश मंडल, 4. रेखा देवी भा०दं०वि० की धारा 323,342,436,427,447,379/34 के अंतर्गत आरोपित हैं और विचारण का सामना कर रहे हैं। अभियोजन द्वारा घटना के समर्थन में कुल 7 साक्षियों का मौखिक साक्ष्य कराया गया है। अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक लोक अभियोजक, कटिहार का दावा है कि मामले में न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराये गये अभियोजन साक्षी संख्या- 2. (PW- 2) अरुण कुमार मंडल, अभियोजन साक्षी संख्या- 3. (PW- 3) शंकर मंडल, अभियोजन साक्षी संख्या- 4. (PW- 4) प्रभाष चंद्र झा, अभियोजन साक्षी संख्या- 5. (PW- 5) बिभाष चंद्र झा, अभियोजन साक्षी संख्या- 6. (PW- 6) विकाश कुमार झा एवं अभियोजन साक्षी संख्या- 7. (PW- 7) नंदकिशोर राम अनुसंधानकर्ता ने न्यायालय के समक्ष परीक्षण के दौरान अपने-अपने बयान में अभियुक्तों की पहचान किया है तथा अभियोजन कहानी का पूर्णत: समर्थन किया हैं। अभियोजन की ओर से अनुसंधानकर्ता के बयान के आधार पर औपचारिक प्राथमिकी को प्रदर्श- P- 3/PW- 7. एवं उदय कुमार की लिखावट एवं हस्ताक्षर में परिवाद-पत्र पर अग्रसारण को प्रदर्श- P- 2/1/PW- 7. तथा परिवाद-पत्र पर थाना प्रभारी की लिखावट एवं हस्ताक्षर में पृष्ठांकन को प्रदर्श- P- 2/PW- 7. अंकित किया गया है। परिवाद-पत्र पर सूचक विकाश कुमार झा के हस्ताक्षर को प्रदर्श- P- 1/PW- 6. अंकित किया गया है। अभियोजन द्वारा परिवाद-पत्र और औपचारिक प्राथमिकी एवं घटनास्थल को साबित किया गया है। अभियोजन का दावा है कि न्यायालय के समक्ष परीक्षित सभी साक्षियों ने मामले का पूर्णत: समर्थन किया है तथा मामले को अभियुक्तों के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया है। अत: न्यायहित में अभियुक्तों को आरोपित धाराओं में वर्णित अधिकतम दंड से दंडित किया जाये।

<u>बचाव पक्ष की ओर से बहस</u>

19. अभियुक्तों की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने अपने बहस में कहा है कि इस मामले के अभियुक्त 1. बीना देवी, 2. मुकेश मंडल एवं 3. रेखा देवी धारा 323,342,436,427,447,379/34 भा०दं०वि० के अंतर्गत आरोपित हैं और विचारण का सामना कर रहे हैं। मामले में अभियोजन साक्षी संख्या- 1. (PW- 1) रेणू देवी ने घटना के संबंध में कोई जानकारी होने तथा पुलिस द्वारा बयान लिए जाने की बात से इनकार किया है, जिसके आधार पर इस साक्षी को पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया है। अभियोजन साक्षी संख्या- 2. (PW- 2) अरुण कुमार मंडल, अभियोजन साक्षी संख्या- 3. (PW- 3) शंकर मंडल, अभियोजन साक्षी संख्या- 4. (PW- 4) प्रभाष चंद्र झा, अभियोजन साक्षी संख्या- 5. (PW- 5) बिभाष चंद्र झा एवं अभियोजन साक्षी संख्या- 6. (PW- 6) विकाश कुमार झा आपस में भाई भतीजा एवं पुत्र हैं तथा हितबद्ध और अनुश्रुत साक्षी हैं। आपस में हितबद्धता के कारण इनके साक्ष्य पर भारोसा नहीं किया जा सकता है और न ही इनके साक्ष्य को कोई महत्त्व दिया जा सकता है। अभियोजन द्वारा मामले में अनुसंधानकर्ता का बयान दर्ज कराया गया है जिसमें उनके द्वारा बयान दिया गया है कि उनके द्वारा कोई अवशेष जप्त नहीं किया गया था तथा घटनास्थल के चौहद्दी वाले व्यक्तियों का बयान अंकित नहीं किया गया है। अभियोजन द्वारा किसी चिकित्स्क को साक्षी नहीं बनाया गया है, जिससे स्पष्ट है कि उनके साथ कोई मारपीट की घटना नहीं घटी है। सूचक द्वारा गलत ढंग से मामले के अभियुक्तो को फंसाया गया है। किसी भी अभियुक्त पर कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। अभियोजन की ओर से न्यायालय के समक्ष परीक्षित किसी भी साक्षी ने बिचारण का सामना

WEB COPY CIVIL COURT KATIHAR

कर रहे अभियुक्तों के विरुद्ध कोई विशिष्ट बयान नहीं दिया है तथा उनके बयान में विरोधाभास है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे बहस में दावा किया है कि अभियुक्तों के विरुद्ध आरोपित अपराध का कोई मामला बनता ही नहीं है और न ही अभियोजन ने अभियुक्तों के विरुद्ध लगाये गये आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया है। अभियोजन, अभियुक्तों पर लगाये गये आरोप को साबित करने में पूर्णत: विफल रहा है। अत: न्यायहित में अभियुक्तों को दोषमुक्त किया जाये।

साक्ष्य का विश्लेष्ण

20. अब मैं अभिलेख पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं प्रलेखी साक्ष्यों की गहन विवेचना एवं मीमांशा इस मामले में अभियुक्तों के विरुद्ध लगाये गये आरोप के आलोक में करूँगा। उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित है कि इस मामले के अभियुक्त 1. बीना देवी, 2. मुकेश मंडल एवं 3. रेखा देवी धारा 323,342,436,427,447,379/34 भा०दं०वि० के अंतर्गत आरोपित हैं और विचारण का सामना कर रहे हैं। प्रस्तुत मामले में अभियुक्तों पर आरोप है कि उन्होंने सामान्य आशय को अग्रसर करने में सूचक के कामत घर की छतरी को दबिया से काटकर गिरा दिया एवं मना करने पर सूचक के साथ लाठी थप्पड़ से मारपीट किया और उसके कामत घर में आग लगा दिया तथा खाद एवं अन्य सामान लूट लिया। प्राथमिकी आवेदन के अनुसार जमीन पर कब्जा करने के लिए सभी आरोपी लोग दबिया, गड़ासा, फरसा जैसे खतरनाक हथियारों से लैस होकर घटना वाली रात यानी 20.11.2008 को लगभग 1:00 बजे जमीन पर आए और कामत के घर को काटना शुरु कर दिया, जिस पर परिवादी और मामले के अन्य गवाह जग गए और उन्होंने देखा की सभी आरोपी अलग-अलग दिशा में कामत के घर में आग लगा रहे हैं। कामत के घर में आग लगाने की वजह से घर में रखा सारा सामान जैसे अनाज , खेती के सामान कुदाल, खाद का पांच डिब्बा, कीटनाशक के बुरादे, खाट और 15000/- रूपये का पंप सेट इंजन जलकर पूरी तरह नष्ट हो गया। आरोपियों का पूरा मकसद परिवादी और उसके आदमियों को जलाकर मार डालना तथा कामत के घर को सामान के साथ जलाकर नष्ट कर देना था। परिवादी और उसके आदमियों ने अभियुक्तों के ज्यादती का विरोध किया तो उन्होंने परिवादी और उसके आदमियों पर हमला करना शुरू कर दिया और दूसरे गवाहों और आदमियों के आने पर वह कामत के घर से खाद के लगभग पूरे बैग को अपने सिर पर उठाकर भाग गए।

21. अभियुक्तों के विरुद्ध लगाए गए आरोप के संबंध में घटनास्थल, घटना के समय एवं घटना करित करने के तरीके की बात है तो इस संबंध में अभियोजन साक्षी संख्या- 2. (PW- 2) अरुण कुमार मंडल, अभियोजन साक्षी संख्या- 3. शंकर मंडल (PW- 3), अभियोजन साक्षी संख्या- 4. प्रभाष चंद्र झा (PW- 4) के बयान के अनुसार घटना दिनांक 20.11.2008 को रात्रि 1:00 बजे घटित होना कहा गया है तथा अभियुक्त जगदीश मंडल, बीना देवी, मुकेश मंडल, रूपेश मंडल, राकेश मंडल एवं रेखा देवी द्वारा विकास झा के रहने वाले कामत घर को काटकर गिरा देने तथा सामान लूट लेने एवं झोपड़ी में अगले लगा देने का बयान दिया गया है परंतु अभियोजन साक्षी संख्या- 5. बिभाष चंद्र झा (PW- 5) ने घटना दिनांक 20.11.2008 को दिन 11:00 बजे दिन में घटित होना कहा है। अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षियों ने घटनास्थल खाता नंबर 1 खेसरा नंबर 112 रकवा 99 डिसमिल में स्थित कामत वाला घर बताया है। इस प्रकार घटनास्थल एवं घटना कारित किये जाने के तरीके के संबंध में समान बयान दिया गया।

22. अभियोजन की ओर से मामले के समर्थन में सूचक न्यायालय में उपस्थित होकर अपने द्वारा दाखिल किए गए परिवाद-पत्र पर हस्ताक्षर की पहचान किया है, जिसे प्रदर्श- P1/PW-6 अंकित किया गया है तथा अभियोजन कहानी के समर्थन में अभियोजन की ओर से अनुसंधानकर्ता न्यायालय में उपस्थित होकर परिवाद-पत्र पर थाना प्रभारी के लिखावट एवं हस्ताक्षर में पृष्ठांकन एवं उदय कुमार की लिखावट एवं हस्ताक्षर में अग्रसारण की पहचान किया है, जिसे क्रमश: प्रदर्श- P-2/PW-7 एवं प्रदर्श- P-2/1/PW-7

WEB COPY CIVIL COURT KATIHAR

अंकित किया गया है। अभियोजन द्वारा परिवाद-पत्र के आधार पर दर्ज औपचारिक प्राथमिकी को प्रदर्श- P-3/PW-7 अंकित किया गया है, तदनुसार अभियोजन द्वारा औपचारिक प्राथमिकी को साबित किया गया है। बचाव पक्ष की ओर से कोई भी मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है परंतु दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में खाता नंबर 1 खेसरा नंबर 112 रकवा 99 डिसमिल के खतियान को प्रदर्श- D- A अंकित कराया गया है जिससे विदित है कि मौजा मलहरिया के खाता नंबर 1 खेसरा नंबर 112 के रकवा 99 डिसमिल भूमि का खतियान कंत लाल झा पिता छोटकन झा, जाति ब्राह्मण निवासी सलेमपुर के नाम से दर्ज है तथा उक्त भूमि पर बकब्जा सोती मंडल पिता मुंशी सिकमीदार दर्ज पाया गया है।

23. अभियुक्त 1. बीना देवी, 2. मुकेश मंडल एवं 3. रेखा देवी के विरुद्ध आरोपित धारा 323,342,436,427, 447,379/34 भा०दं०वि० के अंतर्गत आरोप के साबित करने के क्रम में अभियोजन की ओर से स्वयं सूचक विकास कुमार झा (PW- 6) के बयान के अनुसार वह घटना के समय खेत वाले कामत घर में सोए हुए थे और देखा कि अभियुक्तगण मिलकर दबिया से काटकर घर की छतरी गिरा दिए तथा रोकने पर लाठी-थप्पड़ से मारपीट किये और घर में आग लगा दिए परंतु इन्होंने अपने प्रति परीक्षण में स्वीकार किया है कि विवादित जमीन का खतियान मेरे पर दादा कंत लाल झा के नाम से है जिसके अभियुक्ति में अभियुक्त जगदीश मंडल के पिता का नाम सिकमीदार के रूप में दर्ज है। जगदीश मंडल हम लोगों को फसल बांट कर दे रहे थे एवं डी.सी.एल.आर के निर्णय के बाद भी वे लोग खेत नहीं छोड़ रहे थे तो हम लोग दबाव देकर उस जमीन पर कब्जा किया, जिससे स्पष्ट है कि अभियुक्त जगदीश मंडल के पिता सिकमीदार थे तथा फसल को बांट कर देते थे जिस जमीन पर अभियोजन द्वारा दबाव देकर कब्जा कर लिया गया था। सूचक द्वारा यह भी बयान दिया गया है कि वह घटना के समय रात में अकेले था और वहां कोई अन्य लोग नहीं थे तथा हल्ला के बाद वे लोग एकत्रित हुए। हल्ला के बाद लोगों के एकत्रित होने के पूर्व ही अभियुक्तगण वहां से भाग चुके थे। सूचक के बयान के अनुसार हल्ला होने पर बाद में लोगों के वहां एकत्रित होने के पहले ही अभियुक्तगण भाग गए थे परंतु अभियोजन साक्षी संख्या- 2. अरुण कुमार मंडल ने मुख्य परीक्षण में कहा कि उन्होंने देखा कि जगदीश मंडल, बीना देवी, रूपेश मंडल, राकेश मंडल, एवं रेखा देवी ने विकास झा के रहने वाले झोपड़ी को काट रहे थे, उसके बाद में लोग झोपड़ी में आग लगा दिए। विकास झा भागने लगे तो अभियुक्तगण उसके साथ मारपीट किये एवं झोपड़ी का सामान लेकर भाग गये। इस साक्षी द्वारा प्रति परीक्षण में भी बयान दिया गया है कि जब वह घटनास्थल पहुंचा तो झोपड़ी काटा जा रहा था तथा इसने घटनास्थल पर अभियुक्तों को पहचानने की बात कहा है और यह स्वीकार किया है कि इस साक्षी का अभियुक्तों से पुराना जमीन विवाद चल रहा है जिससे स्पष्ट है कि यह हितबद्ध साक्षी है और सूचक के बयान के अनुसार हल्ला होने पर लोगों के एकत्रित होने की पूर्वं अभियुक्तगण वहां से भाग चुके थे तो इस साक्षी द्वारा घटना को देखने और घटनास्थल पर पहचानने के संबंध में दिया गया बयान संदेहास्पद हो जाता है। अभियोजन साथी संख्या- 3. शंकर मंडल ने मुख्य परीक्षण में बयान दिया है कि घटना के समय वह अपने खेत में सोए हुए थे तथा विकास झा के खेत में हल्ला होने पर वहां गए तो देखे की कामत को जगदीश मंडल, बीना देवी, मुकेश मंडल, राजेश मंडल, रूपेश मंडल एवं रेखा देवी काटकर गिरा दिए तथा सभी मिलकर कामत में आग लगा दिया और उस समय विकास झा उस कामत में सोया हुआ था। अभियुक्तगण घर के समान को लूट लिए एवं केला के पेड़ को काटकर बर्बाद कर दिए परंतु साक्षी ने प्रति परीक्षण में बयान दिया है कि कामत वाला घर फूस का बना हुआ है तथा अंदर मचान बना हुआ था, उसमें दरवाजा भी था। उसके बाहर मवेशी का नाद था जिसमें उसका एक गाय रहता था। इस साक्षी द्वारा बयान दिया गया है कि जब मैं घटनास्थल पर पहुंचा तो कामत में आग लगा हुआ था अर्थात यह साक्षी कामत में आग लगने के बाद पहुंचा है अर्थात कामत में आग लगाने का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है और आग लगाने के पूर्व की घटना के संबंध में दिया गया बयान अभियोजन के मेल में आकर दिया गया प्रतीत

होता है। अभियोजन साक्षी संख्या- 4. ने भी मुख्य परीक्षण में घटना का समर्थन करते हुए कहा है कि वह अपने कामत में सोया हुआ था तथा उसका भाई विभास चन्द्र झा एवं भतीजा विकास चंद्र भी अलग-अलग कमरा में कामत में सोए हुए थे। जगदीश मंडल, बीना देवी, मुकेश मंडल, रुपेश मंडल, राजेश मंडल एवं रेखा देवी ने कामत में आकर उसके घर का दरवाजा धक्का मार कर खोल दिया एवं खाद बर्तन वगैरह लूट लिया उसके बाद दबिया से कामत को काट दिया एवं आग लगा दिया परंतु इस साक्षी ने जिरह में बयान दिया है कि कामत वाले जमीन का खतियान कंत लाल झा के नाम से है एवं सिकमीदार में सोती मंडल का नाम दर्ज था। इस साक्षी के बयान के अनुसार वह अपने कामत में सोया हुआ था तथा उसका भाई विभाश चंद्र झा एवं भतीजा विकास चंद्र भी अलग-अलग कमरा में सोए हुए थे परंतु सूचक द्वारा बयान दिया गया है कि घटना की रात में कामत में वह अकेले था एवं वह अन्य कोई लोग नहीं थे। अभियोजन साक्षी संख्या- 4. प्रभास चन्द्र झा के अनुसार जगदीश मंडल के पिता सोती मंडल सिकमीदार होने के नाते उस जमीन पर खेती करते थे। इस साक्षी के अनुसार तीनों भाई का अलग-अलग कामत घर बना हुआ था एवं रात में हम लोग कामत घर में ही सोए थे। इसने यह भी बयान दिया है कि उसने पुलिस को नहीं बताया था कि कामत तीन कमरे का था एवं जगदीश मंडल के पिता सोती मंडल उस जमीन के सिकमीदार थे। अभियोजन साक्षी संख्या- 5 विभास चंद्र झा ने मुख्य परीक्षण में अभियोजन कहानी का समर्थन समर्थन किया है तथा अभियुक्तों द्वारा कामत में घुसकर रुपए, खाद एवं बर्तन को लूट लेने के बाद आग लगा देने की बात कहा है परंतु अपने जिरह में बयान दिया है कि मैं आग लगाते हुए नहीं देखा था। इस साक्षी के अनुसार कामत की लंबाई नव हाथ एवं एक ही कमरा था जबकि अभियोजन साथी संख्या- 4. प्रभाष चंद्र झा के बयान के अनुसार कामत तीन कमरे का था और सूचक के बयान के अनुसार भी कामत पर सूचक अकेले था वहां अन्य कोई लोग नहीं थे परंतु अभियोजन सांची संख्या- 4. प्रभाष चंद्र झा के अनुसार तीन भाई का अलग-अलग कामत घर बना था एवं रात में हम लोग कामत घर में ही सोए थे। अनुसंधानकर्ता द्वारा सूचक के बताए अनुसार घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था तथा घटनास्थल पर वादी के बताए अनुसार खेत में केला कटा हुआ तथा कामत की झोपड़ी में आग लगा घटनास्थल पर पाया गया है परंतु अनुसंधानकर्ता द्वारा घटनास्थल के चौहद्दी के किसी भी साक्षी का बयान दर्ज नहीं किया गया है अनुसंधानकर्ता द्वारा घटना के संबंध में बयान दर्ज किए गए सभी साक्षी सूचक के भाई भतीजा अथवा वे व्यक्ति हैं जिनका अभियुक्तगण से पहले से जमीनी विवाद चल रहा है। अनुसंधानकर्ता द्वारा घटनास्थल से जलाएं गये कामत के किसी अवशेष को प्राप्त नहीं किया गया है तथा स्वयं अनुसंधानकर्ता द्वारा बयान दिया गया है कि जिस भूमि पर कामत था उस भूमि की जांच किया था। खतियान देखा था उसमें नहीं पाया कि अभियुक्त जगदीश मंडल के पिता सिकमीदार के रूप में दर्ज थे जबकि स्वयं सूचक एवं अन्य साक्षियों ने बयान दिया है कि विवादित जमीन का खतियान संतलाल झा के नाम था तथा अभियुक्त जगदीश मंडल के पिता सोती मंडल उसके सीकमीदार थे एवं सोती मंडल खेती करते थे जिसकी पुष्टि प्रदर्श D- A से भी होती है तथा स्वयं सूचक द्वारा बयान दिया गया है कि खतियान में अभियुक्त जगदीश मंडल के पिता का नाम सिकमीदार के रूप में दर्ज है। जगदीश मंडल हम लोगों को फसल बांट कर दे रहे थे एवं डी.सी.एल.आर. के निर्णय के बाद वह खेत नहीं छोड़ रहे थे तो हम लोग दबाव देकर उस जमीन पर कब्जा किया। अभियोजन द्वारा आरोप लगाया गया है कि जगदीश मंडल ने बेईमानी और धोखाधड़ी से बिहार काश्तकारी अधिनियम की धारा 48(E) के तहत केस संख्या- 489/2007-08 के माध्यम से बटाईदारी का झूठा दावा पेश किया था, जिसे पूरी तरह से खारिज कर दिया गया और बटाईदारी का उसका दावा झूठा पाया गया था। जगदीश मंडल ने बिहार काश्तकारी अधिनियम की धारा 48(D) के तहत वाद संख्या- 02/2007-08 की कार्यवाही भी शुरू किया था जिसे अंचल अधिकारी, समेली द्वारा खारिज कर दिया गया और उक्त आदेश के विरुद्ध दायर अपील संख्या- 01/2008-09 को भी अनुमंडल पदाधिकारी, कटिहार द्वारा खारिज कर दिया गया परन्तु उक्त

WEB COPY CIVIL COURT KATIHAR

संबंध में कोई आदेश अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। किसी भी पक्षकार द्वारा डी.सी.एल.आर. द्वारा पारित आदेश की प्रति दाखिल नहीं किया गया है।

24. उपरोक्त संपूर्ण विवेचन से स्पष्ट है कि उभयपक्षों के बीच मौजा मलहरिया के खाता नंबर 1 खेसरा नंबर 112 के रकवा 99 डिसमिल की जमीन को लेकर विवाद था तथा जमीनी विवाद को लेकर यह घटना घटित हुई है। सूचक के बयान के अनुसार हल्ला होने पर जब बाद में वहां लोग एकत्रित हुए तो उसके पूर्व ही अभियुक्तगण वहां से भाग चुके थे अर्थात सूचक के बयान के अनुसार लोगों के एकत्रित होने के पहले ही अभियुक्तगण वहां से भाग चुके थे अर्थात् अन्य किसी साक्षी द्वारा अभियुक्तों को नहीं देखा गया है,तदनुसार घटना के संबंध में अन्य साक्षी अनुश्रुत साक्षी है और उनके द्वारा दिया गया बयान संदेहास्पद हो जाता है। सूचक के बयान के अनुसार वह कामत पर अकेले था परंतु अन्य साक्षियों के बयान के अनुसार कामत पर तीन भाई अलग-अलग घर में सोए हुए थे एवं कामत तीन कमरे का था परंतु सूचक के बयान के अनुसार कामत एक ही कमरे का था। इस प्रकार उपरोक्त संपूर्ण विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि वह पक्षकारों के बीच में कामत वाले घर की जमीन को लेकर विवाद है जिस पर अभियुक्तगण का सिकमीदार के रूप में दावा है तथा उसका खतियान सूचक के पूर्वज संतलाल झा के नाम से दर्ज है। आपराधिक विधि का सिद्धांत है कि संदेह का लाभ सदैव अभियुक्त को दिया जाता है तथा मामले को सदैव युक्तियुक्त संदेह से परे साबित होना चाहिए परन्तु इस मामले में अभियोजन की ओर से न्यायालय के समक्ष परीक्षित साथियों ने आपस में विरोधाभासी बयान दिया है एवं अभियोजन कहानी को संदेह से प्रे साबित करने में विफल रहा है तथा अभियोजन द्वारा जमीनी विवाद को लेकर दीवानी प्रकृति के मामले को आपराधिक मामले की तरह से निपटारे का प्रयास किया जा रहा है।

25. इस प्रकार मामले के सभी साक्षियों के मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के संपूर्ण विश्लेषण एवं उपरोक्त विवेचन से विदित है कि अभियोजन ने अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 323,342,436, 427,447,379/34 भा०दं०वि० के अन्तर्गत दंडनीय अपराध के आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है, फलत: आदेश पारित किया जाता है:-

<u>आदेश</u>

प्रस्तुत मामले के अभियुक्त 1. बीना देवी, 2. मुकेश मंडल एवं 3. रेखा देवी को धारा 323,342, 436,427,447,379/34 भा०दं०वि० के अन्तर्गत दंडनीय अपराध के आरोप से संदेह का लाभ देते हुए साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर हैं, उनके जमानत प्रपत्रों को निरस्त किया जाता है तथा प्रतिभुओं को बंधपत्र के दायित्व से मुक्त किया जाता है।

(महेन्द्र प्रसाद यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार।
दिनांक: 07.05.2026

यह निर्णय आज दिनांक 07.05.2026 को उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता की उपस्थिति में मेरे द्वारा टंकित, शुद्धित एवं हस्ताक्षरित करके खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

(महेन्द्र प्रसाद यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार।
दिनांक: 07.05.2026

WEB COPY CIVIL COURT KATIHAR

Present: M.P. Yadava. Additional Sessions Judge- IX, Katihar. Court No.-10
S.T.No- 201/2012, G.R. No.- 88/2009, Falka Pothiya P.S.Case No.- 13/2009

State of Bihar (Through: Vikash Kumar Jha) Vs Mukesh Mandal & ors,

The court of Additional Sessions Judge 9th, Katihar.

District:- Katihar (Bihar)

Present:- Mahendra Prasad Yadava
Judgement Date:- 07:05:2026

Session Trial No.- 201/2012
G.R.No.- 88/2009, C.I.S. No. 320/2014

Falka (Pothiya) P.S. Case No.- 13/2009,
F.I.R. U/Sec.- U/Sec. 323, 341,435,427,447,379,307/34 of the IPC.
(Cognizance U/Sec. 323, 342,436,427,447,379/34 of the IPC.
Charge U/Sec.- 323, 342,436,427,447,379/34 of the IPC

Informant	Vikash Kumar Jha s/o Late Subhash Chandra Jha Village:- Salempur, P.S.:- Falaka (Pothiya), District:- Katihar, Bihar.
Presented by:-	Ld. APP. Sri:- Sardar Yashwant Singh.
Accused:-	1. Mukesh Mandal s/o Late Jagdish Mandal, aged about 35 Years 2. Bina Devi w/o Jagdish Mandal aged about 55 Years 3. Rekha Devi w/o Mukesh Mandal aged about 30 Years All are of Village:- Salempur P.S.:- Falka (Pothiya), District:- Katihar, Bihar..
Presented by:-	Ld.Adv Sri:- Kailash Mandal

FORM-B

Date of Offence	20/11/2008
Date of Complaint/FIR	26/11/2008
Date of Chargesheet	20/05/2010
Date of Framing of Charges	14/06/2012
Date of Commencement of evidence	15/09/2012
Date on which Judgement is reserved	06/05/2026
Date of Judgment	07/05/2026
Date of Sentencing Order, if any	None

Accused Details:

Rank of Accused	Name of Accused	Date of Arrest	Date of Release on Bail	Offences Charged with	Whether Acquitted or convicted	Sentence Imposed	Period Detention Undergone During trial for Purpose of section 428, Cr.PC
1.	Mukesh Mandal	24.09.2009	12.10.2009	U/Sec.323,342,436,427, 447,379/34 of the I.P.C	Acquitted	Nil	Nil
2.	Bina Devi	24.09.2009	12.10.2009	U/Sec.323,342,436,427, 447,379/34 of the I.P.C	Acquitted	Nil	Nil
3.	Rekha Devi	--	21.10.2009	U/Sec.323,342,436,427, 447,379/34 of the I.P.C	Acquitted	Nil	Nil

(Mahendra Prasad Yadava)
Addl. Sessions Judge- IX, Katihar.
Date:- 07:05:2026

WEB COPY CIVIL COURT KATIHAR

Present: M.P. Yadava. Additional Sessions Judge- IX, Katihar. Court No.-10
S.T.No- 201/2012, G.R. No.- 88/2009, Falka Pothiya P.S.Case No.- 13/2009

State of Bihar (Through: Vikash Kumar Jha) Vs Mukesh Mandal & ors,

APPENDIX

In the court of Addl. Sessions Judge 8th, Katihar, Bihar.

LIST OF PROSECUTION/DEFENCE/COURT WITNESS

A. Prosecution

RANK	NAME	NATURE OF EVIDENCE
PW- 1.	Renu Devi	Hostile witness
PW- 2.	Arun Kumar Mandal	Interested witness
PW- 3.	Shankar Mandal	Interested witness
PW- 4.	Prabhash Chandra Jha	Interested witness
PW- 5.	Bibhash Chandra Jha	Interested witness
PW- 6.	Vikash Kumar Jha	Informant of the case
PW- 7.	Sonu Kumar @ Sushant Kumaar	I.O. of the case

B. Defence Witness, if any:

RANK	NAME	NATURE OF EVIDENCE
DW1	None	None

C. Court Witness, if any:

RANK	NAME	NATURE OF EVIDENCE
DW1	None	None

LIST OF PROSECUTION/DEFENCE/COURTEXHIBITS

A. Prosecution:

Sr. No.	Exhibit Number	Description
1.	Exhibit P-1/PW- 6.	Signature of Complainant/Informant on complaint Petition
2.	Exhibit P- 2/PW- 7	Endorsement on complaint petition by SHO
3.	Exhibit P- 2/1/PW- 7	Forwarding on complaint petition by Uday Kumar
4	Exhibit P- 3/PW- 7	Formal FIR

B. Defence:

Sr. No.	Exhibit Number	Description
1.	Exhibit D- A	Khatiyan

C. Court Exhibits:

Sr. No.	Exhibit Number	Description
1.	Exhibit C-1/CW1	None

D. Material Objects:

Sr. No.	Material Object Number	Description
1.	MO- I	None

(Mahendra Prasad Yadava)
Addl. Sessions Judge- IX, Katihar.
Date:- 07:05:2026

WEB COPY CIVIL COURT KATIHAR